



सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-17

शुक्रवार, दिनांक-25 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाहन से 11:35 बजे पूर्वाहन तक।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विषय के कठिपय माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए बेल में आ गए।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपनी मांगों को सही समय एवं सही माध्यम से उठाने तथा अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही कहा गया कि बेल में आकर प्रदर्शन करना उचित नहीं है। सदन नियम से चलता है तथा नियमानुसार ही कार्य होगा।

तत्पश्चात माननीय सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण किया।

[1] प्रश्नकाल :-

- (i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
- (ii) 04 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
- (iii) 04 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
- (iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-2855 पंचायती राज विभाग में स्थानांतरित।
- (v) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
- (vi) 161 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-88 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा कहा गया कि माननीय मंत्री जी आपने जिस सी.ए.जी. के रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला दिया है, क्या वह लोक लेखा समिति के विचाराधीन नहीं है? क्या वह प्रतिवेदित हो चुका है? इस पर आपको समीक्षा कर लेनी चाहिए थी।

आसन द्वारा सभी माननीय सदस्यों एवं माननीय मंत्रिगण से अनुरोध किया कि प्रश्न से संबंधित सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करके सदन का समय बचाने का कार्य करें। जो मंत्री पूरे विषय को गंभीरता से समझते हैं, वे ही सदन में बेहतर जवाब देते हैं।

तारकित प्रश्नों के निस्तारण के द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यगण नेता प्रतिपक्ष के अल्पसूचित प्रश्न

*संख्या-85 (जातीय जनगणना कराना) के उत्तर की मांग पर अड़े रहे तथा शोरगुल एवं नारेबाजी करते हुए बेल में आ गये।

आसन द्वारा कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष एवं सदन नेता दोनों का मान सदन में बराबर है। जब प्रश्न का समय समाप्त हो गया तो फिर बापस उस प्रश्न पर जाना अनुचित है। सदन नियम से चलता है, यह किसी के दबाव में नहीं चलेगा।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने तथा शांति से सदन चलने देने के अनुरोध के बावजूद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 12:00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(12.00 बजे मध्याह्न से 12.10 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[2] आसन की सूचना :-

आसन द्वारा सदन को सूचित कियागया कि आज महान देशभक्त, सरस्वती पुत्र, राष्ट्रवादी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन ही एक सांप्रदायिक उन्माद को रोकते हुए माँ भारती के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था।

विद्यार्थी जी जितने बड़े शब्द साधक थे उतने ही तपोनिष्ठ सामाजिक योद्धा भी थे। 'अभ्युदय', 'सरस्वती', 'प्रताप' जैसी उल्लेखनीय पत्रिकाओं के माध्यम से तो उन्होंने जन जागरण का कार्य किया ही, साथ ही लोकमान्य तिलक तथा महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन में भी अपना सक्रिय योगदान दिया।

उनके कृतित्व को नमन करते हुए मैं गीता का सूत्र वाक्य कहना चाहूँगा -

"नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः"

यानि न उसे शस्त्र काट सकता है, न ही अग्नि जला सकती है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी जैसे अमर नायकों का कर्म ऐसा ही होता है। मैं अपने तथा पूरे सदन की ओर से महान कर्मवीर गणेश शंकर विद्यार्थी जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन करता हूँ।

तदुपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि

जो लड़कर पाना चाहते थे शान्ति, यह कराह उनकी निराशा की आवाज है,

जो कभी एक बसी बसायी बस्ती थी, यह उजाड़ उसकी सहमी हुई आवाज है,

बधाई उन्हें जो सो रहे थे बेखबर निंद और देख रहे थे कोई मीठा सपना,

यह आवाज उनके खर्टटे की आवाज है।

जब सदन चलेगा, तब माननीय सदस्य अपनी बातों को गंभीरता से रखें। वह कार्यवाही के तहत लिया जायेगा। हंगामा से आपका विषय नहीं आता और लोग समझ भी नहीं पाते हैं। सदन की गरिमा बढ़ाने में जो आप लोगों की भूमिका रही है उस भूमिका को हम और बेहतर करें। कोई भी घटना जिंदगी का एक पना है और जिंदगी पूरी किताब है। एक घटना के लिए हम पूरी किताब न फाढ़ दें, क्यों न हम उस पने को ही फाढ़ दें।

आसन द्वारा पुनः सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि सदन शांति से चलने दें।

[3] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (i) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा विहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के परिणाम बजट पुस्तिका की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

- (ii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के बाल कल्याण बजट पुस्तिका की एक प्रैति को सभा मेज पर रखा गया।
- (iii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के ग्रीन बजट पुस्तिका की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
- (iv) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की जेन्डर बजट पुस्तिका की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[4] कार्यस्थगण प्रस्ताव :-

माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा द्वारा दिया गया कार्यस्थगण प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य किये जाने की घोषणा की गई।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष के अल्पसूचित प्रश्न संख्या-85 के उत्तर की मांग पर अड़े रहे तथा शोरगुल एवं नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने स्थान पर बैठ जाने तथा शांति से सदन चलने देने के अनुरोध किया गया। परन्तु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.27 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-11 (गृह विभाग; सामान्य प्रशासन विभाग; मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग; निगरानी विभाग तथा निवाचिन विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान:-

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से गृह विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

अनुदान की मांग एवं कटौती प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्री अरूण शंकर प्रसाद
2. श्रीमती शालिनी मिश्रा
3. श्री विश्वनाथ राम
4. श्री महबूब आलम
5. श्री जीतन राम माँझी
6. श्री अखतरुल ईमान
7. डॉ० सत्येन्द्र यादव
8. श्री सुर्यकान्त पासवान
9. श्री प्रहलाद यादव

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

10. श्री जय प्रकाश यादव
11. डॉ० रामानुज प्रसाद
12. श्री सिद्धार्थ सौरव

13. श्री अख्तारुल इस्लाम शाहीन
14. श्री कृष्णमुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया
15. श्री संजय कुमार सिंह

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

तदुपरान्त माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

इस दौरान आसन द्वारा कहा गया कि:-

पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं;
उड़ जायेंगे एक दिन तस्वीर में रंगों की तरह;
हम बक्त की टहनी पर बैठे हैं, परिन्दों की तरह;
खटखटाते रहिये एक दरवाजा मन का;
मुलाकातों का नहीं सही, आहटें आती रहनी चाहिए;
न राज है जिन्दगी, न नाराज है जिंदगी;
बस जो है वो आज है जिन्दगी।

इसलिए अच्छे कार्य को और अनुभव की किताब को ध्यान से पढ़िये और सीखिये और आगे बढ़िये।

तत्पश्चात माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ।

गृह विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृति के प्रश्न पर विपक्ष के द्वारा मत विभाजन की मांग की गयी। तदनुसार सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर मत विभाजन में भाग लिया। गृह विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से 60 के मुकाबले 113 मतों से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ। आसन द्वारा निम्न परितयों के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त किया गया:-

दूसरों को मिटाने की धून में, आदमी खुद को यूं मिटाता है;

जैसे चुभने के फिक्र में, कौटा शाख से खुद ही टूट जाता है।

तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में सम्मिलित शेष अनुदानों की माँग गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से सदन द्वारा बारी-बारी से स्वीकृत हुआ।

[6] अध्यक्षीय घोषणा :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कल दिनांक 26 मार्च, 2022 को सदन में अन्तराल के बाद विनियोग विधेयक का व्यवस्थापन होगा। दिनांक 11 मार्च, 2022 को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि आगामी 26 मार्च, 2022 को विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन के उपरान्त संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने संबंधी विषय पर नियम-43 के तहत विमर्श होंगा। इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति हुई थी। चुकिं इस सत्र में अबतक 11 मांगों पर लगातार सदन में बाद-विवाद हो रहा है। बजट पर काफी चर्चा हुआ है।

अगर सदन सहमति हो तो विनियोग विधेयक पर 2 से 3 बजे तक विमर्श हो। सदन की अवधि 1 घंटा बढ़ा दी जाय और 3 से 5 बजे तक लोकहित के विषय पर 'संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाने संबंधी' विषय पर विमर्श हो। आसन के इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति हुई।

[7] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 60 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक शनिवार, दिनांक-26 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिए स्थगित हुई।